न्यायालयः—अपर सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.।
पीठासीन अधिकारी :— आशा चौधरी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
आपराधिक निगरानी याचिका संख्या :— 11/2025, क. न. :— 11/2025
सी.एन.आर. नं. :— RJDK080002522025
आदेश दिनांक :— 27/03/2026

---

1. सुमन पत्नी हनुमानराम, निवासी नांदोली चांदावत, पुलिस थाना मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

——निगरानीकर्ता

ब ना म

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक मकराना।
2. सुरेश पुत्र भूराराम, निवासी नांदोली,
3. मनोज पुत्र भूराराम, निवासी नांदोली,
4. शिवराम पुत्र किसनाराम, निवासी नांदोली,
5. संजय पुत्र नानूराम, निवासी नांदोली,
6. विनोद पुत्र नानूराम, निवासी नांदोली,
7. राजूराम पुत्र हेमाराम, निवासी नांदोली, मकराना, पुलिस थाना मकराना जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।

——गैर निगरानीकर्तागण

उपस्थिति —

निगरानीकर्ता की ओर से	—	अधिवक्ता श्री अनिल कुमार जोशी, श्री सिकन्दर खान, श्री अभिनव जोशी।
गैर निगरानीकर्ता सं. 01 की ओर से	—	अपर लोक अभियोजक श्री हरिकृष्ण गोपाल।
गैर निगरानीकर्ता सं. 02 ता 07 की ओर से	—	अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर चौहान, श्री मोहम्मद रफीक, श्री मनीष चौहान।

श्री भूपेन्द्र चौहान, आर.जे.एस. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2024 पुलिस थाना मकराना में धारा 173(8) सी. आर.पी.सी. में क्लोजर रिपोर्ट पेश करने पर पारित आदेश दिनांक 13.06.2025 के विरूद्ध फौजदारी निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 397 सी.आर.पी.सी.

दिनांक :— 27/03/2026

—:: **आदेश** ::—

1. सुविधा की दृष्टि से आगे इस आदेश में निगरानीकर्ता सुमन को प्रार्थीया व गैर निगरानीकर्ता सं. 02 लगायत 07 को आरोपीगण के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.01.2024 को प्रार्थीया सुमन मय सरोज ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 05.01.2024 को वह दोपहर में घर जा रही थी, तभी

अचानक रास्ते में छोटूराम के घर के सामने घात लगाये सुरेश, मनोज, भूराराम, शिवराम बैठे थे, जिन्होंने उसे घेर लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब वह चिल्लाई तो पड़ौसी बबलू भागकर आया और उसने हीरालाल को बुलाया, जितने में ही छोटूराम, मोतीराम, संजय, विनोद, श्योराम, राजेन्द्र हाथों में लाठियां व सरिये लेकर आये और उन्होंने उसके भाई हीरालाल पर जानलेवा हमला कर दिया। हीरालाल के शिवराम व मोतीराम ने लाठियों से मारपीट कर उसके हाथ–पांव तोड़ दिये। जगह–जगह शरीर पर करीब 10–12 चोटें मारी, जिससे उसके भाई का शरीर लहूलुहान हो गया। बबलू के राजेन्द्र ने डांग की बांये पैर व पीठ पर मारी। सुरेश उसके गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़कर भाग गया। सुरेश, मनोज व शिवराम ने उसके कपड़े फाड़ दिये, उसके स्तनों पर हाथ डालकर उसके बाहों में जकड़ लिया और उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। उसके जीजा रामदेव ने पुलिस को फोन कर बुलाया, जिसके पश्चात् हीरालाल को बूड़सू हॉस्पिटल, फिर वहां से कुचामन और कुचामन से जयपुर रैफर कर दिया, वगैरह–वगैरह। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मकराना ने मुकदमा संख्या 04/2024 अंतर्गत धारा 143, 341, 323, 354, 376/511, 379 भा.दं.सं. में कायम कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण में अभियुक्तगण की लिप्तता प्रकट होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण शिवराम उर्फ श्योराम, छोटूराम के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 143, 341, 323, 354, 302, 120बी भा.दं.सं. तथा अभियुक्तगण विमला देवी व मोतीराम के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 143, 341, 323, 302, 120बी भा.दं.सं. में आरोप पत्र पेश किया गया। उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। शेष अभियुक्तगण सुरेश, मनोज, शिवराम पुत्र किशनाराम, राजेन्द्र, संजय व विनोद के विरूद्ध धारा 173(8) दं.प्र.सं. में अनुसंधान जारी रखा गया। प्रकरण अनन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण दिनांक 05.04.2024 को इस न्यायालय को कमिट किया गया।

3. विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2025 को हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 04/2024 अंतर्गत धारा 143, 341, 323, 354, 376/511, 379, 302 भा.दं.सं. में ए.पी.ओ. द्वारा धारा 173(8) दं.प्र.सं. में अनुसंधान बंद

करने की रिपोर्ट पेश करने पर विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण को दिनांक 05.04.2024 को अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना को कमिट किया जाकर अनुसंधान बंद करने की रिपोर्ट बाबत् दिनांक 13.06.2025 का आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्ता सुमन ने गैर निगरानीकर्तागण राजस्थान सरकार वगैरह के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 04/2024 में दिनांक 13.06.2025 को क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी याचिका पेश की है, जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

4. निगरानी याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस कथन किया कि विचारण न्यायालय के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 04/2024 में धारा 173(8) दं.प्र.सं. के तहत लम्बित अनुसंधान में क्लोजर रिपोर्ट नकारात्मक प्रस्तुत की, जिसके बाबत् निगरानीकर्ता को पुलिस अधिकारी ने न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी थी। साथ ही विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त क्लोजर रिपोर्ट ही ए.डी. जे. कोर्ट मकराना में कमिट कर दी गई और किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय के दिनांक 13.06.2025 के आदेश को अपास्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 04/2024 में पारित नकारात्मक रिपोर्ट की पत्रावली को विचारण न्यायालय में रिमाण्ड की जावे।

5. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता गैर निगरानीकर्तागण का तर्क रहा कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2025 को पारित आदेश वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका अस्वीकार कर विचारण न्यायालय के उक्त आदेश की पुष्टि की जावे।

6. इस निगरानी में इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2025 के द्वारा पारित आदेश युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है अथवा नहीं अथवा संशोधन किये जाने योग्य है?

7. निगरानी याचिका के मामलें में विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में रिवीजन न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने का औचित्य तभी बनता है जबकि

आक्षेपित आदेश अवैध, अनुचित व अनियमितता लिये हुए हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या आक्षेपित आदेश ऐसा है जिसमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य है अथवा नहीं?

8. न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशिलन किया गया। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो विचारण न्यायालय के समक्ष जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और उक्त अंतिम रिपोर्ट में तथ्य वर्णित हुए कि किसी प्रकार का कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को उक्त रिपोर्ट पर क्या प्रक्रिया अपनानी होती है, इस संबंध में न्यायालय को निम्न न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त होता है :–

Ramswaroop Soni Vs. State of Madhya Pradesh & Anr.

2019 (4) Criminal Court Cases 433 (S.C.)

Criminal Procedure Code, 1973, S. 173 (2) – Final report – Report stating that no offence is made out – Any of the following courses can be adopted by Magistrate : (i) he may accept report which was filed by police in which case procedings would stand closed; (ii) he may not accept report and may take cognizance in the matter on basis of such final report which was presented by police; and (iii) if he is not satisfied by investigation so undertaken by police, he may direct further investigation in the matter.

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि **"धारा 173(2) दं.प्र.सं. के तहत पेश अंतिम रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया हो कि कोई अपराध नहीं बनता है, मजिस्ट्रेट द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है–**

(1) वह पुलिस द्वारा दायर की गई रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है, जिस स्थिति में कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी।

(2) वह रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकता है और पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई उस अंतिम रिपोर्ट के आधार पर मामले का संज्ञान ले सकता है।

(3) यदि वह पुलिस द्वारा की गई जांच से संतुष्ट नहीं है, तो वह मामले में आगे की जांच का निर्देश दे सकता है।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित

सिद्धांत की रोशनी में हस्तगत प्रकरण का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी के प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 04/2024 में आरोप–पत्र अभियुक्तगण शिवराज उर्फ श्योराम, छोटूराम चौधरी के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 143, 341, 323, 354, 302, 120बी भा.दं.सं. में पेश करते हुए अन्य आरोपीगण के विरूद्ध धारा 173(8) दं.प्र.सं. में अनुसंधान जारी रखते हुए दिनांक 05.04.2024 को प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया। जिसके संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा जरिये ए.पी.ओ. धारा 173(8) दं.प्र.सं. के तहत अनुसंधान बंद करने की रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त कर लिपिक रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 05.04.2024 को प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया और अनुसंधान बंद करने की पत्रावली का अग्रिम कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्रेषित किया, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.06.2025 को क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में आदेश पारित किया।

10. चूंकि इस स्तर पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में विचारण न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह पुलिस द्वारा दायर की गई रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है, जिस स्थिति में कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी या रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकता है और पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई उस अंतिम रिपोर्ट के आधार पर मामले का संज्ञान ले सकता है या पुलिस द्वारा की गई जांच से संतुष्ट नहीं है, तो वह मामले में आगे की जांच का निर्देश दे सकता है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत की रोशनी में विचारण न्यायालय के द्वारा जो दिनांक 13.06.2025 को अंतिम रिपोर्ट के संबंध में आदेश पारित किया गया है, वह अपास्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन–विश्लेषण व संबंधित विधि से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो दिनांक 13.06.2025 का आक्षेपित आदेश पारित किया है, वह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, ऐसे में विचारण

न्यायालय का उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 13.06.20125 अपास्त कर रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

12. फलतः निगरानीकर्ता सुमन की ओर से गैर निगरानीकर्तागण सरकार वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका सं. 11/2025, क.नं. 11/2025 उपरोक्तानुसार स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 13.06.2025 वैध, शुद्ध, औचित्यपूर्ण व विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अपास्त किया जाकर उपरोक्त समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकरण पुनः विद्वान विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर यह निर्देश दिया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय निगरानीकर्ता सुमन को पुनः सुनकर इस आदेश से प्रभावित हुए बिना नये सिरे से पूर्ण विवेचना करते हुए आदेश पारित करे। निगरानीकर्ता सुमन विचारण न्यायालय में दिनांक 17.04.2026 को उपस्थित रहें। इस आदेश की एक प्रति मय अभिलेख विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

(आशा चौधरी, RJS, DJ Cadre)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

13. आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(आशा चौधरी, RJS, DJ Cadre)
अपर सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)